

TENDER NOTICE

Auction of Bank's Vehicle

Central Bank of India (Regional Office- Jalandhar) intends to sell its used vehicle (car) on basis of "AS IS WHERE IS". The details of the vehicle are as under.

Make/Model	Model	Registration No.	Registration Date	Colour	KM Run
TATA Indigo eCS (Diesel)	2016	PB08	18.10.2016	White	157000 km

- Reserve Price of the said vehicle is Rs.75,000/- +GST (Rs. Seventy five thousand + GST).
- Interested individuals (including legal person), including staff & ex staff are required to submit Bid as per format provided in a sealed cover with non-refundable application fee of Rs.500/- (waived for staff & ex staff) and **Earnest Money Deposit -EMD (refundable) of Rs.10,000/- for general public and Rs.5,000/- for staff & ex staff by way of Demand Draft favoring "Central Bank of India".**
- The tender bid without Application Fee and Earnest Money Deposit will not be entertained.
- The vehicle will be available for inspection between 10 am to 5 pm on 27.2.2023 to 28.2.2023, parked at Central Bank of India, Regional Office, SCO 30-31, Guru Ram Dass Tower, PUDA Complex, Jalandhar.
- The sealed cover should boldly super scribe "**TENDER BID FOR PURCHASE OF BANK'S VEHICLE**", and should reach to our office at Central Bank of India, Regional Office, Regional Office, SCO 30-31, Guru Ram Dass Tower, PUDA Complex, Jalandhar on or before 5:00 pm on 2.3.2023. Any Bid received thereafter will not be entertained.
- Tender will be opened on 3.3.2023 or any later date decided by our office.
- Insurance/Road tax will not be transferred in the name of the purchaser by Bank.
- Applicant with highest Bid will be given 7 days' time for making full payment. If no response is received from the highest bidder, the Earnest Money shall be forfeited and

offer extended to second highest bidder (H2 to match the rate of H1). Similar procedure shall be followed in respect of H2/H3/H4 etc. till the Bank is able to get the reserve price.

- GST @18% will also be applicable on the offer price.
- The vehicle will be delivered to the buyer only after all formalities (registration transfer by RTO, Insurance transfer etc) are completed by the buyer on his/her own cost & effort and the documents to this effect are given to the Bank.
- For getting the vehicle registered at the place of choice of the Buyer, the Bank will extend co-operation by way of giving the required letter/certificate for obtaining NOC/transfer. While the responsibility for NOC, transfer/registration will be of buyer only.
- Buyer has to get the vehicle transferred/registered in his/her name within one month from the date of NOC as per Motor Vehicle act.
- Bank will be discharged from its liability from the date of sale of vehicle.
- Buyer should submit self-attested Xerox copies of their PAN, AADHAR & Driving License along with the application form.
- The refundable deposit will be refunded only on production of the proof (copy of RC with due endorsements) of having the vehicle registered in the name of buyer.
- All charges/expenditure occurred in transfer/registration or any nature will be borne by the buyer only and the Bank will not compensate in any manner.
- In case of any dispute, jurisdiction will be restricted to Jalandhar only.
- Bank reserves its right to accept/reject any tender/proposal without assigning any reason.

**Regional Manager
Jalandhar**

निविदा सूचना

बैंक के वाहन की नीलामी

सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया (क्षेत्रीय कार्यालय-जालंधर) अपने इस्तेमाल किए गए वाहन (कार) को "जैसा है जहां है" के आधार पर बेचने हेतु निविदा आमन्त्रित करता है। वाहन का विवरण इस प्रकार है।

Make/Model	Model	Registration No.	Registration Date	Colour	KM Run
TATA Indigo eCS (Diesel)	2016	PB08	18.10.2016	White	157000 km

- उक्त वाहन का आरक्षित मूल्य 75,000/- रुपये +GST (एक लाख पचास हजार रुपये मात्र) है।
- आवेदन शुल्क रु.500/- गैर-वापसी योग्य (कर्मचारियों और पूर्व कर्मचारियों के लिए छूट) और - ईएमडी राशि (वापसी योग्य) रु. 10000/- आम जनता के लिए और रु. 5000/- कर्मचारियों और पूर्व कर्मचारियों के लिए "सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया" के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से सीलबंद कवर में प्रदान किए गए प्रारूप के अनुसार जमा करना आवश्यक है।
- आवेदन शुल्क और बयाना जमा राशि के बिना निविदा बोली पर विचार नहीं किया जाएगा।
- वाहन निरीक्षण के लिए 27.2.2023 से 28.2.2023 को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया, क्षेत्रीय कार्यालय, एससीओ 30-31, गुरु राम दास टॉवर, पुडा कॉम्प्लेक्स, जालंधर में पार्क किया जाएगा।
- सीलबंद लिफाफे पर मोटे तौर पर "बैंक के वाहन की खरीद के लिए निविदा बोली" लिखा होना चाहिए और सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया, क्षेत्रीय कार्यालय, एससीओ 30-31, गुरु राम दास टॉवर, पुडा कॉम्प्लेक्स, जालंधर हमारे कार्यालय में 2.3.2023 को शाम 5:00 बजे या उससे पहले तक पहुंचना चाहिए। इसके बाद प्राप्त किसी भी बोली पर विचार नहीं किया जाएगा।
- निविदा 3.3.2023 या हमारे कार्यालय द्वारा तय की गई किसी भी बाद की तारीख को खोली जाएगी।
- बीमा/रोड टैक्स बैंक द्वारा क्रेता के नाम पर हस्तांतरित नहीं किया जाएगा।

- उच्चतम बोली वाले आवेदक को पूरा भुगतान करने के लिए 7 दिन का समय दिया जाएगा। यदि उच्चतम बोली लगाने वाले से कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं होती है, तो बयाना राशि जब्त कर ली जाएगी और प्रस्ताव को दूसरे उच्चतम बोलीदाता तक बढ़ा दिया जाएगा (H1 की दर से मिलान करने के लिए H2)। H2/H3/H4 आदि के संबंध में इसी तरह की प्रक्रिया का पालन किया जाएगा जब तक कि बैंक आरक्षित मूल्य प्राप्त करने में सक्षम न हो जाए।
- ऑफ़र कीमत पर 18% जीएसटी भी लागू होगा।
- सभी औपचारिकताओं (आरटीओ द्वारा पंजीकरण हस्तांतरण, बीमा हस्तांतरण आदि) के बाद ही खरीदार को वाहन दिया जाएगा, खरीदार द्वारा अपनी लागत और प्रयास पर पूरा किया जाएगा और इस आशय के दस्तावेज बैंक को दिए जाएंगे।
- खरीदार की पसंद के स्थान पर वाहन को पंजीकृत करने के लिए, बैंक एनओसी/स्थानांतरण प्राप्त करने के लिए आवश्यक पत्र/प्रमाण पत्र देकर सहयोग करेगा। जबकि एनओसी, ट्रांसफर/रजिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी खरीदार की ही होगी।
- खरीदार को मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार एनओसी की तारीख से एक महीने के भीतर वाहन को अपने नाम पर स्थानांतरित/पंजीकृत करवाना होगा।
- वाहन की बिक्री की तारीख से बैंक अपने दायित्व से मुक्त हो जाएगा।
- खरीदार को आवेदन पत्र के साथ अपने पैन, आधार और ड्राइविंग लाइसेंस की स्व-सत्यापित ज़ेरॉक्स प्रतियां जमा करनी चाहिए।
- रिफंडेबल डिपॉजिट केवल खरीदार के नाम पर वाहन के पंजीकृत होने का प्रमाण (उचित पृष्ठांकन के साथ आरसी की प्रति) प्रस्तुत करने पर ही वापस किया जाएगा।
- स्थानांतरण/पंजीकरण या किसी भी प्रकार के सभी शुल्क/व्यय केवल खरीदार द्वारा वहन किए जाएंगे और बैंक किसी भी तरह से क्षतिपूर्ति नहीं करेगा।
- किसी भी विवाद की स्थिति में क्षेत्राधिकार केवल जालंधर तक ही सीमित रहेगा। बैंक बिना कोई कारण बताए किसी भी निविदा/प्रस्ताव को स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

किसी विवाद की स्थिति में अंग्रेजी दस्तावेज मान्य होंगे ।